खण्ड-472, अंक-1
गुरूवार, 1 माघ, शक संवत् 1931
(21 जनवरी, 2010 ई0)

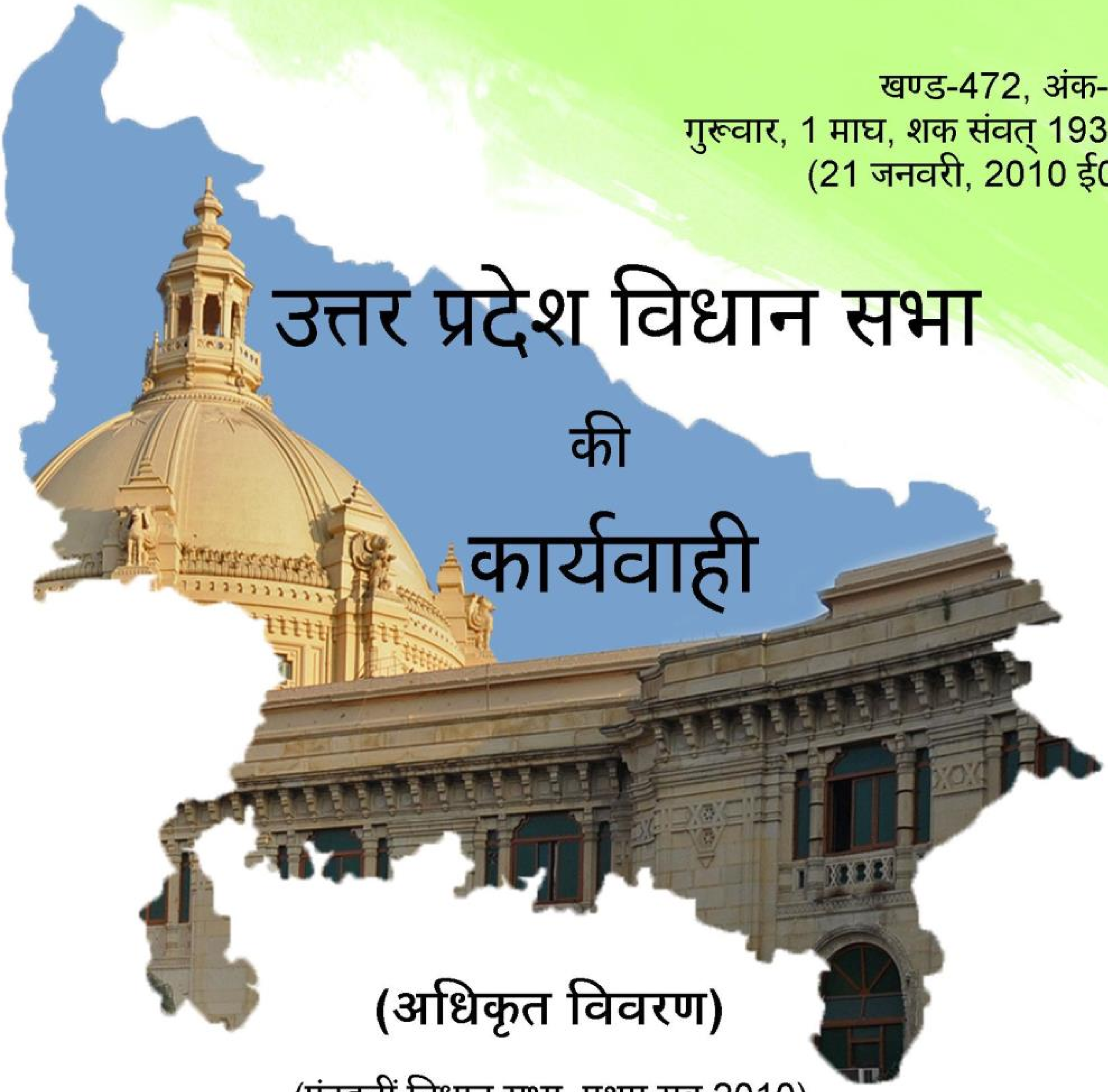

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2010)

खण्ड 472 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2010

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल ...	क-ण
उपस्थित सदस्य	थ-फ
राष्ट्रीय-गीत	1
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ	1-14
उत्तर प्रदेश सहकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	15
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 (सदन के पटल पर रखा गया)...	15
संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 एवं संसद के तद्विषयक वाद-विवाद की प्रतियां प्राप्त न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	15-17
संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 द्वारा भारत का संविधान में प्रस्तावित संशोधन के अनुसमर्थन का संकल्प (स्वीकृत)	17
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापस प्राप्त न होने की सूचना)	17-18
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	18
उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	18
उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	18
उत्तर प्रदेश चल चित्र (संशोधन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	18
उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	19
उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	19

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	19
इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	19
जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	20
उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	20
उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	20
डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	20-21
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	21
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	21
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	21
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	22
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	22
उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	22
उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	22

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	23
उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों को सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	23
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	23
उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	23-24
उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	24
उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	24
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित)	24-25
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित) ...	25
सदन में प्रस्तुत किये जाने वाले कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव में संशोधन की मांग (जारी)	25
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (जारी)	26
सदन में प्रस्तुत किये जाने वाले कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव में संशोधन की मांग	26-28
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	28-31

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
5. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
6. अजय तोमर, डा0 — बागपत
7. अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
8. अजय यादव, श्री — एटा
9. अजय राय, श्री — वाराणसी
10. अजय सिंह, श्री — जालौन
11. अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
12. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
13. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
14. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
15. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
16. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
17. अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
18. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
19. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
20. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
21. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
22. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
23. अब्दुल कलाम, श्री — सन्तकबीरनगर
24. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
25. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
26. अब्दुल समद अंसारी, हाजी — वाराणसी
27. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
28. अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
29. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
30. अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
31. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
32. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
33. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
34. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
35. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
36. अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
37. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
38. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
39. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
40. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
41. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
42. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
43. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
44. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
45. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
46. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
47. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
48. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
49. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
50. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
51. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
52. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
53. अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
54. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

55. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
56. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
57. आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
58. आर0 ए0 उस्मानी डा0, — लखीमपुर खीरी
59. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
60. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
61. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
62. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
63. आसिफ, श्री — हरदोई
64. इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
65. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
66. इमरान महसूद, श्री — सहारनपुर
67. इरफान सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
68. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री — सिद्धार्थनगर
69. उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
70. उदयराज, श्री — उन्नाव
71. उदयलाल मौर्य, श्री — वाराणसी
72. उमलेश यादव, श्रीमती — बदायूँ
73. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
74. उस्मानुल हक, श्री — मुरादाबाद
75. ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
76. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री — सुल्तानपुर
77. ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
78. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री — कानपुर देहात
79. कजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब — रामपुर
80. कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
81. कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर
82. काशीराम, श्री — रामपुर
83. कुवेर सिंह, श्री — एटा
84. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री — फर्रूखाबाद
85. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
86. कृपा शंकर सिंह, श्री — उन्नाव
87. कृष्ण कुमार, श्री — बहराइच
88. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री — हरदोई
89. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री — लखीमपुर खीरी
90. कृष्णाराज, श्रीमती — लखीमपुर खीरी
91. के0 के0 सचान, डा0 — जौनपुर
92. केदारनाथ वर्मा, श्री — बलिया
93. कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
94. कैलाश साहू, श्री — झांसी
95. कैलाश सिंह राजपूत, श्री — कन्नौज
96. कौकब हमीद खाँ, श्री — बागपत
97. कौशल किशोर, डा0 — लखीमपुर खीरी
98. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत — बलरामपुर
99. गजेन्द्र सिंह, श्री — बुलन्दशहर
100. गिरीश चन्द्र, श्री — मुरादाबाद
101. गुटियारी लाल दुबेश, श्री — आगरा
102. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री — इलाहाबाद
103. गुलाम मोहम्मद खान, श्री — बहराइच
104. गेंदा लाल चौधरी, श्री — हाथरस (महामायानगर)
105. घूराराम, श्री — बलिया
106. चन्द्रदेव, श्री — आजमगढ़
107. चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री — सुल्तानपुर
108. चन्द्रभद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
109. चन्द्रवीर सिंह, श्री — मेरठ
110. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री — सिद्धार्थनगर
111. छत्रपाल सिंह, श्री — बरेली
112. छोटे सिंह, श्री — जालौन
113. जगदीश नारायण, श्री — जौनपुर
114. जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
115. जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
116. जगपाल, श्री — सहारनपुर
117. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — महराजगंज
118. जमीरउल्ला, श्री — अलीगढ़
119. जमुना निषाद, श्री — गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

120. जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
121. जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
122. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री — कुशीनगर
123. जावेद अंसारी, श्री — जौनपुर
124. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री — चन्दौली
125. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री — बस्ती
126. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री — फैजाबाद
127. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री — आगरा
128. जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
129. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 — वाराणसी
130. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री — फर्रूखाबाद
131. तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर
132. त्रिभुवन दत्त, श्री — अम्बेडकरनगर
133. दद्दन मिश्रा, श्री — श्रावस्ती
134. दद्दू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
135. दयाराम, श्री — कौशाम्बी
136. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
137. दाउद अहमद, श्री — हरदोई
138. दिनेश प्रसाद, श्री — चित्रकूट
139. दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
140. दीनानाथ पाण्डेय, श्री — वाराणसी
141. दीपक कुमार, श्री — उन्नाव
142. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री — झाँसी
143. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
144. दूधराम, श्री — बस्ती
145. धर्मपाल, श्री — गाजियाबाद
146. धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री — बदायूँ
147. धर्मपाल सिंह, डा0 — आगरा
148. धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
149. धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
150. धर्मी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
151. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
152. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — बलरामपुर
153. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री — शाहजहांपुर
154. धू राम लोधी, (चौधरी), श्री — हमीरपुर
155. नकुल दूबे, श्री — लखनऊ
156. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री — इलाहाबाद
157. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती — गोण्डा
158. नरेन्द्र सिंह, श्री — फर्रूखाबाद
159. नरेन्द्र सिंह, श्री — सीतापुर
160. नारायण सिंह, श्री — आगरा
161. नितिन अग्रवाल, श्री — हरदोई
162. निर्मल वर्मा, श्री — सीतापुर
163. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री — शाहजहाँपुर
164. पंकज कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
165. पशुपति, श्री — गाजीपुर
166. पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
167. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री — बाँदा
168. पूजा पाल, श्रीमती — इलाहाबाद
169. पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
170. प्रजापालन, श्री — एटा
171. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती — कानपुर देहात
172. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री — बदायूं
173. प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
174. प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
175. प्रमोद सिंह, श्री — देवरिया
176. प्रवीण पटेल, श्री — इलाहाबाद
177. प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
178. प्रेमलता देवी, श्रीमती — अलीगढ़
179. फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
180. फरहत हसन, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
181. फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
182. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी), श्रीमती — देवरिया
183. फागू, श्री — मऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

184. बजरंग बहादुर सिंह, श्री — महराजगंज
185. बलबीर, श्री — मुजफ्फरनगर
186. बलराम सिंह सैनी, श्री — मुरादाबाद
187. बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
188. बिमलेश सिंह, श्रीमती — अलीगढ़
189. बिरजू राम, श्री — जौनपुर
190. बृजेश सौरभ, श्री — प्रतापगढ़
191. बैजनाथ दूबे, श्री — गोण्डा
192. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
193. भगवत शरण गंगवार, श्री — बरेली
194. भगवती प्रसाद सागर, श्री — झाँसी
195. भगवान दास, श्री — सन्तकबीरनगर
196. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री — आगरा
197. भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
198. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री — इटावा
199. भोला पासवान, श्री — आजमगढ़
200. मंजू, श्रीमती — बलिया
201. मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
202. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री — बागपत
203. मनुबाला, श्रीमती — संत रविदासनगर (भदोही)
204. मधुसूदन शर्मा, श्री — आगरा
205. मनोज चौधरी, श्री — सहारनपुर
206. ममतेश शाक्य, श्री — एटा
207. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
208. महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
209. महिपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
210. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
211. महेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
212. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
213. महेश चन्द्र, श्री — औरैया
214. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री — बदायूँ
215. महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
216. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
217. माधव पासवान, श्री — गोरखपुर
218. मिथलेश कटियार, श्रीमती — कानपुर देहात
219. मिथिलेश पाल, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
220. मीता गौतम, कु0 — बाराबंकी
221. मुख्तार अंसारी, श्री — मऊ
222. मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
223. मुस्लिम खाँ, श्री — बदायूँ
224. मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
225. मोहम्मद इकबाल, श्री — बिजनौर
226. मोहम्मद इरशाद खान, श्री — लखनऊ
227. मोहम्मद गाजी, श्री — बिजनौर
228. मोहम्मद जलील खान, श्री — गोण्डा
229. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री — सीतापुर
230. मोहम्मद ताबिश खां, श्री — सन्तकबीरनगर
231. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
232. यशपाल सिंह, श्री — बिजनौर
233. यशपाल सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
234. यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
235. यसपाल सिंह रावत, श्री — गोरखपुर
236. याकूब हाजी, श्री — मेरठ
237. योगराज सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
238. योगेन्द्र सागर, श्री — बदायूँ
239. योगेश वर्मा, श्री — मेरठ
240. रंगनाथ मिश्र, श्री — सन्त रविदासनगर (भदोही)
241. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 — कानपुर देहात
242. रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुं0 — प्रतापगढ़
243. रजनी तिवारी, श्रीमती — हरदोई
244. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री — फतेहपुर
245. रतनलाल अहिरवार, श्री — झाँसी
246. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
247. रमेश गौतम, श्री — गोण्डा

248. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
249. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
250. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
251. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
252. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
253. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
254. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
255. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
256. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
257. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
258. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
259. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
260. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
261. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
262. राजाराम त्यागी, श्री रायबरेली
263. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
264. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
265. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
266. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
267. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
268. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
269. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
270. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
271. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
272. राजेश यादव, श्री शाहजहाँपुर
273. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
274. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
275. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
276. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
277. राधेश्याम जायसवाल, डा0 सीतापुर
278. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
279. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
280. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
281. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
282. राम प्रकाश कुशवाहा, श्री कानपुर नगर
283. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
284. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
285. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
286. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
287. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
288. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
289. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
290. राम सिंह, डा0 अलीगढ़
291. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
292. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
293. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
294. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
295. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
296. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
297. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
298. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
299. लखीराम नागर, श्री मेरठ
300. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
301. लालजी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
302. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
303. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
304. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
305. वारिस अली, श्री बहराइच
306. वासुदेव सिंह "बाबा", श्री बुलन्दशहर
307. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
308. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
309. विजय कुमार मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

310. विजय पाल सिंह, श्री — बरेली
311. विजय बहादुर यादव, श्री — गोरखपुर
312. विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
313. विद्यासागर गुप्त, श्री — लखनऊ
314. विनोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
315. विनोद कुमार हरित, श्री — मेरठ
316. विनोद चतुर्वेदी, श्री — जालौन
317. विनोद सिंह, श्री — सुल्तानपुर
318. विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
319. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
320. विशम्भर सिंह यादव, श्री — बांदा
321. विश्वनाथ, श्री — कुशीनगर
322. वीरेन्द्र कुमार, श्री — हरदोई
323. वीरेन्द्र सिंह, श्री — बरेली
324. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
325. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती — गोण्डा
326. वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
327. शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
328. शम्भू चौधरी, श्री — कुशीनगर
329. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री — बरेली
330. शहनवाज, श्री — बिजनौर
331. शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
332. शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
333. शिव गणेश "लोधी", श्री — रायबरेली
334. शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
335. शिव प्रसाद यादव, श्री — इटावा
336. शिवबालक पासी, श्री — रायबरेली
337. शिवशंकर, श्री — बलिया
338. शीशराम, श्री — बिजनौर
339. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फिरोजाबाद
340. शेखर तिवारी, श्री — औरैया
341. शेरबहादुर, श्री — अम्बेडकरनगर
342. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री — जौनपुर
343. श्याम किशोर शुक्ला, श्री — लखनऊ
344. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री — वाराणसी
345. श्याम नरायण यादव, श्री — आजमगढ़
346. श्याम लाल, श्री — बलरामपुर
347. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
348. श्रीपति आजाद, श्री — महराजगंज
349. श्रीभगवान पाठक, श्री — बलिया
350. श्रीभगवान शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
351. संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
352. संजय कपूर, श्री — रामपुर
353. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री — प्रतापगढ़
354. संजीव दरियाबादी "बन्टी", श्री — कानपुर नगर
355. संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
356. संध्या, कुमारी — मैनपुरी
357. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
358. सत्य नारायण जैसल, श्री — सोनभद्र
359. सत्यपाल सिंह, चौ0 — अलीगढ़
360. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
361. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री — गौतमबुद्धनगर
362. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 — बागपत
363. सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
364. सनातन पाण्डेय, श्री — बलिया
365. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री — आजमगढ़
366. सलिल विश्नोई, श्री — कानपुर नगर
367. सिद्धार्थ शंकर, डा0 — लखनऊ
368. सिनोद कुमार शाक्य, श्री — बदायूँ
369. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री — गाजीपुर
370. सी0 एम0 प्रसाद, श्री — सोनभद्र
371. सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
372. सी0 बी0 इन्निस, श्री — नाम-निर्देशित
373. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री — फतेहपुर
374. सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

375.	सुखलाल, श्री	पीलीभीत
376.	सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
377.	सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद
378.	सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
379.	सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
380.	सुभाष, श्री	बलिया
381.	सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती	ललितपुर
382.	सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
383.	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
384.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
385.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
386.	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
387.	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
388.	सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
389.	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
390.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
391.	सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
392.	सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री	आगरा
393.	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
394.	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
395.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
396.	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
397.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
398.	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
399.	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
400.	हरिओम, श्री	जालौन
401.	हसरत उल्ला, श्री	एटा
402.	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
403.	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
*404.	रिक्त	चन्दौली

* निर्वाचन क्षेत्र संख्या-224 मुगलसराय, जिला-चन्दौली से निर्वाचित सदस्य श्री राम किशुन द्वारा दिनांक 26 मई, 2009 के पूर्वाह्न से त्याग-पत्र दिये जाने के फलस्वरूप।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महामहिम राज्यपाल
श्री बी0 एल0 जोशी

मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)	विभाग या विषय
1	2	3	4
1	कुमारी मायावती मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, न्याय, विधायी, नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, राजनैतिक पेंशन, भाषा, सूचना, वाह्य सहायतित परियोजना, नागरिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन. राष्ट्रीय एकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण. विकलांग कल्याण, धर्मार्थ कार्य, मुस्लिम वक्फ, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, परिवार कल्याण, अवस्थापना विकास, महिला कल्याण तथा कारागार प्रशासन एवं सुधार।	1-सामान्य प्रशासन 2-सचिवालय प्रशासन 3-गृह 4-गोपन 5-सतर्कता 6-नियुक्ति 7-कार्मिक 8-न्याय 9-विधायी 10-नियोजन 11-अर्थ एवं संख्या 12-प्रोटोकाल 13-नागरिक उड्डयन 14-राज्य सम्पत्ति 15-उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय 16-राजनैतिक पेंशन 17-भाषा 18-सूचना 19-वाह्य सहायतित परियोजना 20-नागरिक सुरक्षा 21-औद्योगिक विकास 22-प्रशासनिक सुधार 23-कार्यक्रम कार्यान्वयन 24-राष्ट्रीय एकीकरण 25-खाद्य प्रसंस्करण 26-विकलांग कल्याण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)	विभाग या विषय
			27-धर्मार्थ कार्य 28-मुस्लिम वक्फ 29-इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी 30-समन्वय 31-सार्वजनिक उद्यम 32-मातृ एवं शिशु कल्याण 33-अवस्थापना विकास 34-महिला कल्याण 35-कारागार प्रशासन एवं सुधार
2	श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी	आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, (नलकूप एव लघु डाल नहर को छोड़कर), आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	1-आबकारी 2-मद्य निषेध 3-लोक निर्माण 4-सिंचाई (नलकूप एवं लघु डाल नहर को छोड़कर), 5-आवास एवं शहरी नियोजन 6-नगर भूमि 7-गन्ना विकास 8-चीनी मिलें
3	श्री रामवीर उपाध्याय	ऊर्जा	ऊर्जा
4	श्री लालजी वर्मा	संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा	1-संसदीय कार्य 2-वित्त 3-चिकित्सा शिक्षा
5	श्री इन्द्रजीत सरोज	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन	1-समाज कल्याण 2-अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण 3-बाल विकास एवं पुष्टाहार 4-कृषि विपणन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)	विभाग या विषय
6	श्री ठाकुर जयवीर सिंह	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात	1-ग्रामीण अभियंत्रण सेवा 2-कृषि विदेश व्यापार 3-कृषि निर्यात
7	श्री वेद राम भाटी	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल	1-होमगार्ड्स 2-प्रान्तीय रक्षा दल
8	श्री लक्ष्मी नारायण	कृषि (कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात तथा कृषि विपणन को छोड़कर)	कृषि (कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात तथा कृषि विपणन को छोड़कर)
9	श्री राकेश धर त्रिपाठी	उच्च शिक्षा	उच्च शिक्षा
10	श्री बाबू सिंह कुशवाहा	भूतत्व एवं खनिकर्म, पंचायती राज, सहकारिता तथा परिवार कल्याण	1-भूतत्व एवं खनिकर्म 2-पंचायती राज 3-सहकारिता 4-परिवार कल्याण
11	श्री जगदीश नारायण राय	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग	1-वस्त्रोद्योग 2-रेशम उद्योग
12	श्री फागू चौहान	राजस्व	1-राजस्व 2-अभाव 3-सहायता एवं पुनर्वासन
13	श्री नकुल दुबे	नगर विकास (नगरीय विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को छोड़कर), पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन (संस्थागत वित्त, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क को छोड़कर)	1-नगर विकास 2-जल सम्पूर्ति 3-पर्यावरण 4-शहरी समग्र विकास 5-कर एवं निबन्धन (संस्थागत वित्त, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क को छोड़कर) 6-मनोरंजन कर
14	श्री दद्दू प्रसाद	ग्राम्य विकास	ग्राम्य विकास
15	श्री नरायन सिंह	उद्यान	उद्यान
16	श्री राम प्रसाद चौधरी	खाद्य एवं रसद (उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप को छोड़कर)	1-खाद्य एवं रसद (उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप को छोड़कर) 2-नागरिक आपूर्ति 3-किराया नियंत्रण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)	विभाग या विषय
17	डा0 धर्म सिंह सैनी	बेसिक शिक्षा	बेसिक शिक्षा
18	श्री राम अचल राजभर	परिवहन	परिवहन
19	श्री बादशाह सिंह	श्रम	श्रम
20	श्री रंगनाथ मिश्र	माध्यमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा
21	श्री अनन्त कुमार मिश्रा	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
22	श्री अब्दुल मन्नान	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
23	श्री नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी"	संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क	1-संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क 2-पंजीयन
24	श्री चन्द्रदेव राम यादव	लघु उद्योग	लघु उद्योग
25	श्री अशोक कुमार दोहरे	भूमि विकास एवं जल संसाधन	भूमि विकास एवं जल संसाधन
26	श्री फतेह बहादुर	वन, जन्तु उद्यान	1-वन 2-जन्तु उद्यान
27	श्री रामहेत	निर्वाचन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप	1-निर्वाचन 2-उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप
28	श्री राजपाल त्यागी	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान	1-कृषि शिक्षा 2-कृषि अनुसंधान
29	श्री सुभाष पाण्डेय	संस्कृति	संस्कृति
30	श्री धर्मराज निषाद	मत्स्य	मत्स्य

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1	2	3	4
1	श्री अनीस अहमद खाँ	अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज	1-अल्पसंख्यक कल्याण 2-हज
2	श्री अयोध्या प्रसाद पाल	खेलकूद एवं युवा कल्याण	1-खेलकूद 2-युवा कल्याण
3	श्रीमती ओमवती	खादी एवं ग्रामोद्योग	खादी एवं ग्रामोद्योग
4	श्री विनोद सिंह	पर्यटन	पर्यटन
5	श्री लखीराम नागर	लघु सिंचाई	लघु सिंचाई
6	श्री अवधेश कुमार वर्मा	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पिछड़ा वर्ग कल्याण
7	श्री रामपाल वर्मा	परती भूमि विकास	परती भूमि विकास

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
8	श्री अवधपाल सिंह यादव	पशुधन एवं दुग्ध विकास	1-पशुधन 2-दुग्ध विकास
9	श्री अकबर हुसैन	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
10	श्री सदल प्रसाद	व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा	1-व्यावसायिक शिक्षा 2-प्राविधिक शिक्षा
11	डा0 यशवंत सिंह	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
12	श्री रतन लाल अहिरवार	डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास	डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास
13	श्री भगवती प्रसाद सागर	सेवायोजन (व्यावसायिक शिक्षा के अधीन विभागों को छोड़कर)	सेवायोजन (व्यावसायिक शिक्षा के अधीन विभागों को छोड़कर)
14	श्री जयवीर सिंह	सिंचाई (यांत्रिक)	सिंचाई (यांत्रिक)

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)	सम्बद्धता
1	2	3	4
1	श्री संग्राम सिंह	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री
2	श्री योगराज सिंह	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री
3	श्री राजेश त्रिपाठी	होम्योपैथिक चिकित्सा एवं धर्मार्थ कार्य	चिकित्सा शिक्षा मंत्री तथा धर्मार्थ कार्य मंत्री
4	श्री शहजिल इस्लाम अंसारी	मुस्लिम वक्फ	मुस्लिम वक्फ मंत्री
5	श्री दद्दन मिश्रा	आयुर्वेदिक चिकित्सा	चिकित्सा शिक्षा मंत्री
6	श्री हरिओम	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री
7	श्री यशपाल सिंह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री

नेता विरोधी दल

श्री शिवपाल सिंह यादव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री सुखदेव राजभर

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव

श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल

1-श्री भगेलू राम, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर),

2-श्री फरीद महफूज किदवई, सदस्य, विधान सभा (बाराबंकी),

3-श्री बृजेश सौरभ, सदस्य, विधान सभा (प्रतापगढ़),

4-श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर),

5-श्री सी0एम0 प्रसाद, सदस्य, विधान सभा (सोनभद्र),

6-श्री राम बिशुन आजाद, सदस्य, विधान सभा (गोण्डा),

7-श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा (खीरी),

8-डॉ0 पी0के0 राय, सदस्य, विधान सभा (कुशीनगर),

9-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर),

10-श्री प्रदीप माथुर, सदस्य, विधान सभा (मथुरा)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 21 जनवरी, 2010

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-354

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
3. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
4. अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
5. अजय यादव, श्री — एटा
6. अजय सिंह, श्री — जालौन
7. अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
8. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
9. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
12. अनिल चौधरी, डा0हाथरस (महामायानगर)
13. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अब्दुल कलाम, श्री — सन्तकबीरनगर
18. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
19. अब्दुल समद अंसारी, हाजी — वाराणसी
20. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
21. अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
22. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
23. अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
24. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
25. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
26. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
27. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
28. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
29. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
30. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
31. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
32. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
33. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
34. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
35. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
36. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
37. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
38. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
39. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
40. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
41. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
42. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
43. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
44. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
45. आर0 ए0 उस्मानी डा0, लखीमपुर खीरी
46. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

47. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
48. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
49. आसिफ, श्री — हरदोई
50. इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
51. इमरान महसूद, श्री — सहारनपुर
52. इरफान सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
53. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री — सिद्धार्थनगर
54. उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
55. उदयराज, श्री — उन्नाव
56. उदयलाल मौर्य, श्री — वाराणसी
57. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
58. ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
59. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री — सुल्तानपुर
60. ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
61. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री — कानपुर देहात
62. काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब — रामपुर
63. कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
64. कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर
65. काशीराम, श्री — रामपुर
66. कुवेर सिंह, श्री — एटा
67. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री — फर्रूखाबाद
68. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
69. कृपा शंकर सिंह, श्री — उन्नाव
70. कृष्ण कुमार, श्री — बहराइच
71. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री — हरदोई
72. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री — लखीमपुर खीरी
73. कृष्णाराज, श्रीमती — लखीमपुर खीरी
74. के0 के0 सचान, डा0 — जौनपुर
75. केदारनाथ वर्मा, श्री — बलिया
76. कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
77. कैलाश साहू, श्री — झांसी
78. कैलाश सिंह राजपूत, श्री — कन्नौज
79. कौकब हमीद खाँ, श्री — बागपत
80. कौशल किशोर, डा0 — लखीमपुर खीरी
81. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत — बलरामपुर
82. गिरीश चन्द्र, श्री — मुरादाबाद
83. गुटियारी लाल दुबेश, श्री — आगरा
84. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री — इलाहाबाद
85. गुलाम मोहम्मद खान, श्री — बहराइच
86. गेंदा लाल चौधरी, श्री — हाथरस (महामायानगर)
87. घूराराम, श्री — बलिया
88. चन्द्रदेव, श्री — आजमगढ़
89. चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री — सुल्तानपुर
90. चन्द्रभद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
91. चन्द्रवीर सिंह, श्री — मेरठ
92. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री — सिद्धार्थनगर
93. छत्रपाल सिंह, श्री — बरेली
94. छोटे सिंह, श्री — जालौन
95. जगदीश नारायण, श्री — जौनपुर
96. जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
97. जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
98. जगपाल, श्री — सहारनपुर
99. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — महराजगंज
100. जमीरउल्ला, श्री — अलीगढ़
101. जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
102. जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
103. जावेद अंसारी, श्री — जौनपुर
104. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री — चन्दौली
105. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री — बस्ती
106. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री — फैजाबाद
107. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री — आगरा
108. जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
109. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 — वाराणसी
110. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री — फर्रूखाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

111. तौफीक अहमद, श्री सिद्धार्थनगर
112. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
113. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
114. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
115. दयाराम, श्री कौशाम्बी
116. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
117. दाउद अहमद, श्री हरदोई
118. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
119. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
120. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
121. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
122. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झाँसी
123. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
124. दूधराम, श्री बस्ती
125. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
126. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
127. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
128. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
129. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
130. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
131. धू राम लोधी, चौधरी, श्री हमीरपुर
132. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
133. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
134. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
135. नरेन्द्र सिंह, श्री सीतापुर
136. नारायण सिंह, श्री आगरा
137. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
138. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
139. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
140. पंकज कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
141. पशुपति, श्री गाजीपुर
142. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
143. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बाँदा
144. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
145. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
146. प्रजापालन, श्री एटा
147. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
148. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
149. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
150. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
151. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
152. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
153. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
154. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
155. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
156. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
157. फागू, श्री मऊ
158. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
159. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
160. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
161. बिरजू राम, श्री जौनपुर
162. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
163. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
164. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
165. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
166. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
167. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
168. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
169. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
170. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
171. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
172. मंजू, श्रीमती बलिया
173. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
174. मदन भैया, श्री बागपत
175. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

176. मधुसूदन शर्मा, श्री — आगरा
177. मनोज चौधरी, श्री — सहारनपुर
178. ममतेश शाक्य, श्री — एटा
179. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
180. महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
181. महिपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
182. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
183. महेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
184. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
185. महेश चन्द्र, श्री — औरैया
186. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री — बदायूँ
187. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
188. माधव पासवान, श्री — गोरखपुर
189. मिथलेश कटियार, श्रीमती — कानपुर देहात
190. मिथिलेश पाल, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
191. मीता गौतम, कु0 — बाराबंकी
192. [illegible]रलीधर, श्री — फतेहपुर
193. [illegible]स्लिम खाँ, श्री — बदायूँ
194. मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
195. मोहम्मद इकबाल, श्री — बिजनौर
196. मोहम्मद इरशाद खान, श्री — लखनऊ
197. मोहम्मद गाजी, श्री — बिजनौर
198. मोहम्मद जलील खान, श्री — गोण्डा
199. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री — सीतापुर
200. मोहम्मद ताविश खां, श्री — सन्तकबीरनगर
201. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
202. यशपाल सिंह, श्री — बिजनौर
203. यशपाल सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
204. यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
205. याकूब हाजी, श्री — मेरठ
206. योगराज सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
207. योगेन्द्र सागर, श्री — बदायूँ
208. योगेश वर्मा, श्री — मेरठ
209. रंगनाथ मिश्र, श्री — सन्त रविदासनगर(भदोही)
210. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 — कानपुर देहात
211. रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुं0 — प्रतापगढ़
212. रजनी तिवारी, श्रीमती — हरदोई
213. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री — फतेहपुर
214. रतनलाल अहिरवार, श्री — झाँसी
215. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
216. रमेश गौतम, श्री — गोण्डा
217. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 — मिर्जापुर
218. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — जौनपुर
219. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री — महोबा
220. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 — इलाहाबाद
221. राकेश बाबू, श्री — फिरोजाबाद
222. राघव लखन पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
223. राजकिशोर सिंह, श्री — बस्ती
224. राजकुमार रावत, श्री — मथुरा
225. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 — गाजीपुर
226. राजदेव सिंह, श्री — जौनपुर
227. राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
228. राजबली जैसल, श्री — इलाहाबाद
229. राजाराम त्यागी, श्री — रायबरेली
230. राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
231. राजेन्द्र कुमार, श्री — मऊ
232. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
233. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
234. राजेन्द्र सिंह, डा0 — आगरा
235. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री — गोरखपुर
236. राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली

237. राजेश कुमार, श्री — लखीमपुर खीरी
238. राजेश त्रिपाठी, श्री — गोरखपुर
239. राजेश यादव, श्री — शाहजहाँपुर
240. राजेश्वरी, श्रीमती — हरदोई
241. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
242. राधे लाल रावत, श्री — उन्नाव
243. राधे श्याम गुप्ता, श्री — फतेहपुर
244. राधेश्याम जायसवाल, डा0 — सीतापुर
245. राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकरनगर
246. राम कुमार तिवारी, पण्डित — ललितपुर
247. रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
248. रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
249. राम प्रकाश कुशवाहा, श्री — कानपुर नगर
250. राम प्रकाश यादव, श्री — फिरोजाबाद
251. राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
252. राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
253. रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
254. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
255. राम सागर अकेला, श्री — श्रावस्ती
256. राम सिंह, डा0 — अलीगढ़
257. रामसेवक, श्री — सुल्तानपुर
258. राम सेवक सिंह पटेल, श्री — बदायूँ
259. रामस्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
260. रामहेत भारती, श्री — सीतापुर
261. रिजवान अहमद खाँ, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
262. रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
263. लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
264. लखीराम नागर, श्री — मेरठ
265. लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
266. लाल जी यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
267. लाल जी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
268. वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
269. वारिस अली, श्री — बहराइच
270. विजय कुमार, श्री — गाजीपुर
271. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री — मुरादाबाद
272. विजय पाल सिंह, श्री — बरेली
273. विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
274. विद्यासागर गुप्त, श्री — लखनऊ
275. विनोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
276. विनोद कुमार हरित, श्री — मेरठ
277. विनोद चतुर्वेदी, श्री — जालौन
278. विनोद सिंह, श्री — सुल्तानपुर
279. विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
280. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
281. विशम्भर सिंह यादव, श्री — बांदा
282. वीरेन्द्र कुमार, श्री — हरदोई
283. वीरेन्द्र सिंह, श्री — बरेली
284. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
285. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती — गोण्डा
286. वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
287. शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
288. शम्भू चौधरी, श्री — कुशीनगर
289. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री — बरेली
290. शहनवाज, श्री — बिजनौर
291. शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
292. शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
293. शिव प्रसाद यादव, श्री — इटावा
294. शिवबालक पासी, श्री — रायबरेली
295. शिवशंकर, श्री — बलिया
296. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फिरोजाबाद
297. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री — जौनपुर
298. श्याम किशोर शुक्ला, श्री — लखनऊ
299. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री — वाराणसी
300. श्याम नरायण यादव, श्री — आजमगढ़
301. श्याम लाल, श्री — बलरामपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

302. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
303. श्रीपति आजाद, श्री — महराजगंज
304. श्रीभगवान पाठक, श्री — बलिया
305. श्रीभगवान शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
306. संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
307. संजय कपूर, श्री — रामपुर
308. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री — प्रतापगढ़
309. संजीव दरियाबादी, "बन्टी" श्री — कानपुर नगर
310. संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
311. संध्या, कुमारी — मैनपुरी
312. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
313. सत्य नारायण जैसल, श्री — सोनभद्र
314. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
315. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री — गौतमबुद्धनगर
316. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 — बागपत
317. सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
318. सनातन पाण्डेय, श्री — बलिया
319. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री — आजमगढ़
320. सलिल विश्नोई, श्री — कानपुर नगर
321. सिद्धार्थ शंकर, डा0 — लखनऊ
322. सिनोद कुमार शाक्य, श्री — बदायूँ
323. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री — गाजीपुर
324. सी0 एम0 प्रसाद, श्री — सोनभद्र
325. सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
326. सी0 वी0 इन्निस, श्री — नाम-निर्देशित
327. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री — फतेहपुर
328. सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
329. सुखलाल, श्री — पीलीभीत
330. सुधीर कुमार, श्री — उन्नाव
331. सुनील शर्मा, श्री — गाजियाबाद
332. सुन्दर लाल लोधी, श्री — उन्नाव
333. सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
334. सुभाष, श्री — बलिया
335. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती — ललितपुर
336. सुभाष पाण्डेय, श्री — जौनपुर
337. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री — आजमगढ़
338. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
339. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
340. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
341. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
342. सुरेश तिवारी, श्री — देवरिया
343. सुरेश्वर सिंह, श्री — बहराइच
344. सुशील कुमार, श्री — चन्दौली
345. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री — आगरा
346. सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
347. सूर्यभान, श्री — मिर्जापुर
348. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती — गाजीपुर
349. सोबरन सिंह, श्री — मैनपुरी
350. हरगोविन्द भार्गव, डा0 — सीतापुर
351. हरपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
352. हरिओम, श्री — जालौन
353. हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
354. होराम सिंह, श्री — गौतमबुद्धनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, गंगा-जमुनी तहजीब के लिये विख्यात ...

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, महामहिम श्री राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

[और भारत की हृदय-स्थली, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल होने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। यह पहला अवसर है कि मैं विधान मण्डल के वर्ष 2010 के प्रथम सत्र के अवसर पर आपको सम्बोधित कर रहा हूं। आपको नव-वर्ष की शुभ-कामनायें देते हुये मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको सम्बोधित करते हुये मुझे प्रसन्नता हो रही है किन्तु साथ ही साथ इस बात का दुःख भी है कि गत वर्ष विधान परिषद् की माननीय सदस्या सुश्री सीमा रिजवी का निधन हो गया है। दिवंगत आत्मा के प्रति मैं श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं।

यह प्रदेश भारतीय संस्कृति की गौरवमयी परम्पराओं, भाई-चारा तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक रहा है। धर्मनिरपेक्षता, सह-अस्तित्व एवं सहनशीलता इस प्रदेश की जीवन धारा रहा है। मेरी कामना है कि प्रदेश के समस्त नागरिकों और आप सभी के लिये यह वर्ष सुख, समृद्धि और समग्र विकास की नयी किरण लेकर आये।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मेरी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की जमीन पर सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से समाज के बिल्कुल निचली पायदान पर खड़े अनुसूचित जाति/जनजाति, शोषित, वंचित, पिछड़े ओर हर तरफ से उपेक्षित वर्गों को सबसे पहले उठाने की कोशिश की है। अपने हर फैसले, हर निर्णय के केन्द्र में उन्हें रखा है और उनकी हर आवाज तथा बुनियादी सुविधाओं को सबसे अधिक महत्व दिया है। इसके साथ ही इन वर्गों में समय-समय पर जन्में उन सभी महान सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी विभिन्न रूपों में अर्थात् इनके नाम पर स्मारक, संग्रहालय, मूर्तियां, पार्क, जिले व यूनिवर्सिटी/कालेज आदि बना के इन्हें पूरा-पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्होंने अपनी तमाम जिन्दगी समाज के उपेक्षित लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये समर्पित की है। इसके अलावा प्रदेश में विकास की परिभाषा को जमीनी जरुरतों से जोड़ा है एवं उत्तर प्रदेश की जनता को बुनियादी सुविधायें देने की कोशिश की है। प्रदेश के सभी वर्गों, समुदाय एवं क्षेत्रों को समुचित विकास देने का प्रयास रहा है तथा गरीबों, किसानों, उपेक्षित तथा अल्पसंख्यकों और निर्बल वर्गों के उत्थान के लिये **'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय'** की नीति के आधार पर सभी वर्गों के हित में कार्य किया है।

इस परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना" की घोषणा की गयी है, जिसके तहत प्रदेश में रहने वाले हर गरीब परिवार को, जो अभी तक किसी भी पेंशन योजना अथवा सस्ती दर पर खाद्यान्न से वंचित रह गये हैं उन सभी को इस आर्थिक मदद योजना का लाभ पहुंचाया जायेगा, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरुरतें पूरी हो सकें। इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी परिवार को प्रति महा रु0 300/- की धनराशि दी जायेगी एवं प्रथम चरण में लगभग 30 लाख गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया हैं। इसमें कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी परिवार अनुसूचित जाति/जनजाति के होंगे तथा अगले चरण में बाकी बचे हुये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो को लाभान्वित करने का प्रदेश सरकार का संकल्प है। यह राशि बैंकों के माध्यम से परिवार की महिला मुखिया को दी जायेगी।

वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां सृजित कर दी गयी है कि खाद्यान्नों, दालों तथा खाद्य तेलों की आसमान छूती कीमतों से आम जनता विशेषकर गरीबों का जीवन यापन दूभर हो गया है। मेरी सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि खाद्य पदार्थों में मूल्य नियंत्रण की दिशा मे वे सार्थक कदम उठाये, परन्तु कीमतों में कमी नहीं आयी है। मेरी सरकार ने अपने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि जमाखोरों एवं कालाबाजारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर जनता को महंगाई से राहत दिलायें। साथ-साथ एवं चीनी एवं खाण्डसारी की स्टाक सीमा भी निर्धारित कर दी गयी है एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य का दैनिक अनुश्रवण किया जा रहा है तथा आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिये राज्य सरकार कृत संकल्प है। गन्ना किसानों की खुशहाली हेतु मेरी सरकार ने प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि करने और उसकी उपज का वाजिब तथा लाभकारी मूल्य दिलाया है। इस वर्ष घोषित राज्य परामर्शित मूल्य में गत वर्ष के सापेक्ष रु0 25 प्रति कुन्तल की अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों के निवासियों को आधारभूत सुविधायें प्रदान करने हेतु विशेष प्रयास की रही है। प्रदेश

में आपसी सहमति से भूमि अध्यापन हेतु कार्यवाही की जा रही है, जिससे भू-स्वामियों का लाभ हो एवं साथ-साथ विकास कार्यों में अवरोध न आये।

प्रदेश में विकास कार्यों हेतु समुचित संसाधन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं। प्रदेश की योजना का आकार पिछले दो-तीन वर्षों में दोगुना हो गया है। वर्ष 2006-07 में देश की विकास दर 9.7 प्रतिशत और राज्य की विकास दर 7.1 प्रतिशत आंकलित हुई। वर्ष 2007-08 में देश की विकास दर में थोड़ी गिरावट के साथ 9.00 प्रतिशत आंकलित हुई, जबकि प्रदेश की विकास दर 7.9 प्रतिशत आंकलित हुई। यही नहीं वर्ष 2008-09 में भी प्रदेश की विकास दर 7.4 प्रतिशत आंकलित हुई। विश्व व्यापी मंदी के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष की भी विकास दर में सुधार होने के आसार हैं। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में भी प्रतिवर्ष इजाफा हो रहा है ओर वर्ष 2008-09 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर रु0 18,710 हो गयी।

प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण का सृजन करते हुये कानून का राज स्थापित किया गया है। विभिन्न आपराधिक एवं माफिया तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गयी है। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली या ऊंची पहुंच वाला क्यों न हो,कानून तोड़ने पर उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गयी हैं प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द का माहौल बना हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई जातिगत अथवा क्षेत्रगत तनाव या नक्सलवादी अथवा आतंकवादी घटनायें आदि घटित नहीं हुई हैं। प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण त्योहार निरापद ढंग से सम्पन्न हुये तथा विभिन्न आन्दोलन भी शान्तिपूर्ण रूप से निपटाये गये । लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2009 भी स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुआ।

जन शिकायतों के निराकरण के लिये तहसील दिवस एवं थाना दिवस की परिपक्व व्यवस्था लागू की गयी है ताकि जन शिकायतों का गुणवत्तापरक निराकरण सुनिश्चित हो सके। इसके लिये शासन स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों की टीमें क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। पुलिस बल को सुदृढ़ करने के लिये कदम उठाये गये हैं। पूर्व में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। पुलिस बल में दो लाख से अधिक पद सृजित किये गये हैं। पुलिस बल के इन नवसृजित पदो की भर्ती प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है। प्रथम चरण में 35,000 पुलिस आरक्षियों की भर्ती की निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया प्रचलित है।

प्रदेश में वर्ष 2009-10 मे खाद्यान्न उतपादन का लक्ष्य 510.43 लाख मीट्रिक टन और तिलहन का 13.59 लाख मैट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष खरीफ में सूखा के बावजूद 126.43 लाख मैट्रिक टन एवं रबी में 332.91 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। इस हेतु कुल 46.87 लाख कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष खरीफ में 7.94 लाख कुन्तल एवं रबी में 38.94 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया। खरीफ 2009 में 29.90 लाख मैट्रिक टन उर्वरक वितरण किया गया एवं रबी में माह दिसम्बर, 2009 तक 24.91 लाख मैट्रिक टन वितरण हुआ है। कृषि उत्पादन की नवीन तकनीक को ससमय कृषकों तक पहुंचाने हेतु कृषि उन्नयन पखवारे का आयोजन मण्डल, जनपद विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर खरीफ एवं रबी मौसमों के प्रारम्भ में किया गया। साथ ही किसानों को रोटावेटर, मिनीकिट, स्प्रिंकलर सेट, सीडड्रिल के साथ ही प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जा रहे हैं। किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा डी0ए0पी0 खाद का राज्य सरकार के अधीन बफर स्टाक बढ़ाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है ताकि

समय से पर्याप्त मात्रा में कृषकों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में आ रहे ठहराव के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा कृषि शिक्षा, शोध, प्रसार पर विशेष बल दिया गया है और कृषि से सम्बन्धित नवीन तकनीकियों के विकास के साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े गांवों में कृषि प्रसार कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है।

प्रदेश में औद्यानिक फसलों यथा:-फल, शाकभाजी, आलू, मसाले, पुष्प, औषधीय एवं संगन्ध फसलें, मशरूम एवं शहद के उत्पादन में वृद्धि की अपार सम्भावनायें विद्यमान हैं। प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर आलू व शाकभाजी के क्षेत्र में प्रथम तथा फल उत्पादन में दूसरा स्थान है। प्रदेश में पुष्पों की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु 2356 हेक्टेयर में क्षेत्र विस्तार किया गया है। साथ ही मसालों यथा-हल्दी, लहसुन, मिर्च, धनिया के उन्नतिशील प्रजातियों के उत्पादन को 9463 हेक्टेयर में कराया गया है। इस हेतु 12,759 कृषकों को औद्यानिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है।

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई प्रणालियों में उपलब्ध जल के प्रबन्धन के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि किये जाने हेतु 29,800 हेक्टयर क्षेत्र को प्रक्षेत्र विकास कार्यों से आच्छादित किया गया है। वर्ष 2009-10 में नवम्बर, 2009 तक रु0 20.61 करोड़ व्यय कर 36,283 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया तथा 15.75 लाख मानव कार्य दिवस सृजित किये गये हैं।

सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना तृतीय चरण में आगामी 06 वर्षों के दौरान प्रदेश में 1.30 लाख हेक्टेयर ऊसर एवं 05 हजार हेक्टेयर बीहड़ भूमि सुधार कर प्रदेश के लगभग 2.4 लाख आर्थिक रूप से कमजोर कृषक परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। परियोजना में चिन्हित कुल लाभार्थियों में से 93 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त, 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 47 प्रतिशत पिछड़ी जाति के कृषक लाभान्वित होंगे।

प्रदेश में नहरों एवं राजकीय नलकूपों से लगभग 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजन हेतु मुख्य एवं मध्यम सिंचाई की परियोजनाओं में पूर्वी गंगा नहर, चौ0 चरण सिंह लहचूरा बांध, बाणसागर परियोजना तथा सरयू नहर परियोजना चरणबद्ध ढंग से पूर्ण किये जाने की व्यवस्था की गयी है। साथ ही प्रदेश में 19 नई परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ है। उत्तर प्रदेश वाटर मैनेजमेन्ट रेगुलेटरी कमीशन ऐक्ट तथा सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 लागू कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत जल उपभोक्ता समितियों को अधिकार प्रदत्त होंगे तथा पर्याप्त जनसहभागिता होगी।

प्रदेश में 79,780 निःशुल्क बोरिंग, 700 गहरी बोरिंग, 6,324 मध्यम गहरी बोरिंग, 72 रिचार्जिंग/चेकडैम, 228 सामूहिक नलकूप, 155 सामुदायिक ब्लास्ट कूप का निर्माण कराया गया है, इससे 2.06 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा।

वर्ष 2009-10 में अल्पकालीन फसली ऋण के रूप में रु0 2,600 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर, 2009 तक रु0 1826.42 करोड़ का ऋण वितरित हुआ है तथा दीर्घकालीन ऋण वितरण रु0 371,.91 करोड़ हुआ है।

किसानों को उनके दुग्ध का लाभकारी मूल्य दिलवाने एवं कृषि आधारित ढांचा सुदृढ़ करने के लिए दुग्धशाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2009-10 के नवम्बर माह तक 14,135 सहकारी समितियों एवं समूहों से 5.74 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन किया गया और 4.48 लाख लीटर प्रतिदिन नगरीय दुग्ध की बिक्री की गयी है।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में राज्य कर्मचारी, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों तथा राज्य पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन एवं भत्ते स्वीकृत करने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है तथा इस मामले में उत्तर प्रदेश, देश के अग्रणी प्रदेशों में है। इसी क्रम में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों को एवं कार्य प्रभारित कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ प्रदान करने के साथ-साथ राजकीय कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की व्यवस्था लागू की गयी है। राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों की पेंशन को और उदार बनाते हुए पुनरीक्षित पेंशन का लाभ दिया गया है। कर्मचारियों/पेंशनरों के हित में उठाये गये इन कदमों से प्रदेश शासन पर काफी अधिक व्यय-भार पड़ा है। स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा व्यय प्रबंध में सुधार तथा मितव्ययिता के उपाय किये गये हैं।

राष्ट्रीय राज्य मार्ग तथा राज मार्ग प्रदेश की आर्थिक विकास की रीढ़ है, परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक इनके रख-रखाव तथा उच्चीकरण हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। इस वर्ष कोई भी धनराशि केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत भी स्वीकृत नहीं की गयी है, जबकि लगभग रु0 1,424 करोड़ के प्रस्ताव भेजे गये हैं। नेशनल हाइवे अथॉरिटी आफ इण्डिया के लिए राज्य कराकर द्वारा भूमि अध्याप्ति, पेड़ कटान आदि हेतु प्रभावी कार्यवाही की गयी है, परन्तु इनकी परियोजनाओं में पर्याप्त गति नहीं आ पायी है। इसी प्रकार केन्द्र सरकार के स्तर पर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लगभग 06 हजार करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार के ग्राम्य विकास मंत्रालय में लंबित है, फिर भी राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2009 तक 2800 कि0मी0 लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही शहरी क्षेत्र में मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत 140 कि0मी0 लम्बाई में आवासीय कालोनियों के सम्पर्क मार्गों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य मार्गों/प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु माह दिसम्बर, 2009 तक 1,450 कि0मी0 लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा 46 सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में माह नवम्बर, 2009 तक रु0 1,826.17 करोड़ की धनराशि व्यय करके 1000 से अधिक आबादी वाली 165 बस्तियों तथा 500 से 999 तक की आबादी वाली 498 बस्तियों को सर्वऋतु मार्गों से जोड़ा जा चुका है।

मेरी सरकार द्वारा डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना की संरचना एवं स्वरूप में व्यापक परिवर्तन करते हुए डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत 5,598 ग्राम सभाओं को समस्त कार्यक्रमों से संतृप्त किया गया है। पूर्व वर्षों के अपूर्ण/अधूरे कार्यों तथा मरम्मत योग्य कार्यों को भी पूर्ण कराया गया। इन ग्राम सभाओं को सम्पर्क मार्ग निर्माण, गांव की आबादी में आन्तरिक सड़कों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ शौचालय, आवासहीन को आवास (तथा आवासीय पट्टे एवं कृषि योग्य भूमि के पट्टे) कार्यक्रमों से संतृप्त किया गया तथा पहली बार प्रदेश में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन का निर्माण आबादी के आन्तरिक मार्गों के लिए कराने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

वर्ष 2009-10 में कुल 2195 ग्रामों एवं उसके समस्त मजरों को योजना के 5 विभिन्न कार्यक्रमों-सम्पर्क मार्ग, गांवों के अन्दर आन्तरिक सड़कों का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, आवासहीन को आवास उपलब्ध कराना तथा आवासहीन व भूमिहीन को आवासीय/कृषि योग्य भूमि का पट्टा उपलब्ध कराये जाने से संतृप्तीकरण हेतु चयनित किया गया। इसी के साथ डा0 अम्बेडकर ग्रामों की कुल 10,000 अनुसूचित जाति की बस्तियों में सोडियम लाइट लगाये जाने का कार्य शुरू किया गया है। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कुल चयनित 731 ग्रामों को संतृप्त किये जाने की दिशा में अथक प्रयास किये गये हैं।

सुनियोजित औद्योगिक विकास के लिए यमुना एक्सप्रेस-वे, ग्रेटर नोयडा, नोएडा, गीडा, लीडा, सीडा, बीडा आदि विकास प्राधिकराण गठित किये गये हैं। वर्तमान समय में नोएडा से आगरा तक यमुना-एक्सप्रेस-वे परियोजना का 79 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टिसिपेशन के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, पैरामेडिकल कालेज, पॉलीटेक्निक, आई0टी0आई0 आदि स्थापित किये जा रहे हैं। मेरठ में डा0 भीमराव अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार प्रक्रियाधीन है।

आधुनिक आवश्यकता के अनुरूप औद्योगिक विकास का वातावरण सृजित करने के फलस्वरूप मध्यम एवं वृहद उद्योग की स्थापना हेतु मार्च, 2009 तक 6,884 आशय पत्र/इच्छा पत्र जारी किये गये थे। इनमें से 2,790 क्रियान्वित हो चुके हैं, रु0 57.965 करोड़ पूंजी निवेश हुआ है।

अवस्थापना परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बनाकर सरकार ने विश्व स्तरीय एक्सप्रेस-वे के निर्माण बनाने का संकल्प लिया है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत विश्व-स्तरीय प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे के नेटवर्क, तथा विश्व-स्तरीय पुलों के आने से प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। इस अनुक्रम में 08-लेन की 1047 कि0मी0 लम्बी गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना प्रवेश नियन्त्रित (एक्सेस कण्ट्रोल) एक्सप्रेस-वे पूर्वी उत्तर प्रदेश से गौतमबुद्धनगर तक जायेगी। साथ ही 06-लेन की 165 कि0मी0 लम्बी प्रवेश नियंत्रित (एक्सप्रेस कन्ट्रोल) यमुना एक्सप्रेस-वे, जिला-गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, महामायानगर एवं मथुरा होते हुए आगरा तक जायेगी। इसी प्रकार ग्रेटर नोएडा से उत्तरान्चल सीमा के निकट अपर गंगा कैनाल के तट पर निजी सहभागिता से एक नये एक्सप्रेस-वे के निर्माण का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इन सब के अतिरिक्त बारा एवं करछना में तापीय विद्युत उत्पादन परियोजनायें, कानपुर एवं आगरा में इनपुट बेस्ड विद्युत वितरण फ्रेन्चाइजी का चयन, 09 शहरों में सॉलिड वेस्ट मैजमेन्ट, 08 पॉलीटेक्निक, 06 आई0टी0आई0 की स्थापना एवं आगरा में इनर रिंग रोड का निर्माण प्रमुख है।

समाज के समस्त बच्चों को कक्षा 1-8 तक की शिक्षा प्रदान करने हेतु मेरी सरकार कृत संकल्प है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में 24,790 परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। साथ ही परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की पहचान तथा उससे सम्बन्धित आवश्यक विवरण रखने हेतु डिजिटल फोटोग्राफी का कार्य समस्त जनपदों में लगभग पूर्ण कर लिया गया है। असेवित बस्तियों में मानक के अनुसार 827 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 1126 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित किये गये है। प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में 454 कस्तूरबा गॉधी विद्यालय संचालित किये गये हैं। इनमें से

171 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में खोले गये हैं। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 154 लाख बच्चों द्वारा मध्यान्ह भोजन ग्रहण किया जा रहा है। विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था हेतु प्राथमिक विद्यालों में 58,000 किचेन शेड एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 17,000 किचेन शेड स्थापित किए जा चुके हैं तथा घोषित सूखाग्रस्त जनपदों में ग्रीष्मावकाश भोजन की भी व्यवस्था की गई है।

सरकार द्वारा सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना, जिसके अन्तर्गत उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा-11 में प्रवेश लेने पर रु0 15,000 प्रोत्साहन धनराशि एवं एक साइकिल विद्यालय जाने-आने के लिए योजनान्तर्गत दी जाती है तथा इन्हीं छात्राओं द्वारा कक्षा-11 उत्तीर्ण कर कक्षा-12 में प्रवेश लेने पर रु0 10,000 की धनराशि उनके खाते में अन्तरित की जाती है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2009-10 में 3,03813 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त 2500 राजकीय तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 10-10 कम्प्यूटर व सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 300 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण, 561 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के अनुरक्षण एवं वार्षिक अनुदान की व्यवस्था की गयी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता की अभिवृद्धि हेतु 13,708 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

प्रदेश में उच्च शिक्षा के प्रसार और इसमें गुणात्मक सुधार लाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में 12 राज्य विश्वविद्यालय, 01 मुक्त विश्वविद्यालय, 01 डीम्ड विश्वविद्यालय, 06 निजी विश्वविद्यालय, 138 राजकीय महाविद्यालय, 335 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र में 2800 से अधिक महाविद्यालय हैं। राजकीय महाविद्यालय विहीन 13 जनपदों में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में उर्दू, अरबी, फारसी भाषाओं को बढ़ावा दिये जाने के लिए उ0प्र0 उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गयी है।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत्त उत्कृष्ट शिक्षकों को सरस्वती सम्मान तथा शिक्षक श्री सम्मान से कुल 18 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के सामाजिक आर्थिक स्तर के उन्नयन को दृष्टिगत रखते हुए 02 नये आई0टी0 आधारित इंजीनियरिंग कालेज जनपद बांदा एवं बिजनौर में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय से पास-आउट डिग्री धारकों के समुचित प्लेसमेंट हेतु प्लेसमेंट सेल की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, मेरी सरकार द्वारा 2 महामाया पॉलीटेक्निक आफ इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी जनपद अलीगढ़ एवं कानपुर देहात में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति बाहुल्य जनपदों यथा-मथुरा, बुलन्दशहर एवं ललितपुर में भी एक-एक पॉलीटेक्निक स्थापित करने तथा एक आई0टी0आई0 खोले जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के 60 वर्ष के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को रु0 2,000 मासिक पेंशन दी जा रही है। उत्कृष्ट कलाकारों, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर

गौरव प्राप्त किया हो, को मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान पुरस्कार दिया जा रहा है तथा इस वर्ष से संत रविदास कला सम्मान पुरस्कार की योजना भी प्रारम्भ की जा रही है।

छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता एवं समयशीलता लाने हेतु छात्रवृत्ति योजना का पूर्ण कम्प्यूटराइजेशन किया गया है। लगभग एक करोड़ चालीस लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य जाति के छात्रों को योजना से लाभान्वित किया गया है।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित समस्त वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित करते हुए 40 लाख लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत प्रदेश में अभियान चलाकर लगभग 3300 जनजातियों एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों को वनाधिकार प्रदान कर दिये गये हैं तथा आगे भी कार्यवाही करायी जा रही है।

समाज में बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने के उद्देश्य से महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार में 15 जनवरी, 2009 या इसके उपरान्त जन्मी बालिकाओं को एकमुश्त धनराशि 18 वर्ष के लिए सावधि जमा की जा रही है जो बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर उसे एक लाख रुपये के रूप में प्रदान की जायेगी। अब तक 62,284 बालिकाओं को सावधि जमा प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान योजना में दी जानी वाली राशि रुपये 150 प्रतिमाह से बढ़ाकर 300 प्रतिमाह की गयी है।

अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा उनकी परम्परागत शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संस्थाओं को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनके समग्र विकास हेतु मेरी सरकार कृत संकल्प है। कक्षा 1 से 10 तक अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की महत्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत 31,68,742 छात्रों को लाभाविन्त किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। छात्रवृत्ति वितरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किये जाने एवं धनराशि का स्थनान्तरण ई0-बैकिंग के माधयम से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

शहरी क्षेत्रों में आई0एच0एस0डी0पी0 (इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम) योजना के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं सहित 31,969 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गयी है और अब तक 4,934 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार बी0एस0यू0पी0 (बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर) योजना के अन्तर्गत 68,215 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जनता के बीच हुए संव्यवहारों के सम्बन्ध में सृजित दस्तावेजों के पंजीयन एवं सम्बन्धित दस्तावेज की विषयवस्तु को चिरकाल तक सुरक्षित रखने की सेवा प्रदान करने हेतु प्रदेश के 106 सदर उप निबन्धक कार्यालयों, लखनऊ तथा मेरठ मण्डलों के समस्त 43 तहसील स्तरीय उप निबन्धक कार्यालय में पंजीयन का कार्य कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से किये जाने की परियोजना चल रही है। नेशनल लैण्ड रिकार्ड मार्डनाईजेशन प्रोग्राम तथा पी0पी0पी0 (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) माडल के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सभी उप निबन्धक कार्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए कार्य प्रणाली को सरल, सुविधाजनक, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण बनाया जायेगा।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्वच्छता की समस्या के निदान हेतु प्रदेश में प्रत्येक राजस्व ग्रामों में सफाई कर्मियों के स्वीकृत 1,08,848 पदों के सापेक्ष 95,060 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने और उन्हें स्वच्छता सम्बन्धी आदतों को अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिए 4,71,285 परिवारों के लिए शौचालय, 31,533 स्कूल शौचालय, 9027 आंगनबाड़ी शौचालय तथा 52 महिला शौचालय काम्पलेक्स का निर्माण किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश में व्यापार कर के स्थान पर वैट लागू किया गया है। इस कर-प्रणाली को मूर्त रूप देने हेतु चेक पोस्ट व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। प्रान्त से प्रान्त बाहर जाने वाले माल के लिये बहती डाऊन लोड की व्यवस्था की गयी है। व्यापारियों की सुविधा के लिये ई-पेमेंट की सुविधा प्रारम्भ की गयी। एक करोड़ रुपये से ऊपर टर्नओवर के व्यापारियों हेतु ई-रिटर्न की सुविधा अनुमन्य है। साथ ही प्रान्त के अन्दर से खरीद कर प्रान्त के अन्दर बिक्री करने वाले रु0 50 लाख के टर्न ओवर के लिये आधा प्रतिशत की समाधान योजना पूर्ववत लागू की गयी है।

आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में नये वातावरण और उदारीकरण के प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2009-10 में 22,796 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना हो चुकी है, जिसमें रु0 1696.91 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है। औद्योगिक विकास को गति देने हेतु एकल मेज व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए वर्ष 2009-10 में अब तक 28,965 मामलों का निस्तारण किया गया है।

मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी क्षेत्रों के निवासियों के लिये प्रदेश के 60 जनपदों में प्रति जनपद 1500 आवास तथा शेष 11 जनपदों में प्रति जनपद 1000 आवास का निर्माण कराया जा रहा है। प्रथम चरण में एक लाख एक हजार आवास में से 81,640 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को शुद्ध पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु 3,075 नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन तथा 4,682 हैण्डपम्पों को रि-बोर किया गया।

नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं नगरीय निर्धनों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन कार्यक्रम प्रदेश के 7 शहरों यथा-कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद तथा मथुरा को सम्मिलित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में तात्कालिक आवश्यकता की परियोजनाओं हेतु निकायों को ब्याज रहित ऋण स्वीकृत करने हेतु मा0 कांशीराम जी नगर विकास योजना संचालित है ताकि ब्याज रहित ऋण से निकाय अपनी मूलभूत अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करके अपनी आय में वृद्धि करें एवं स्वावलम्बी बन सकें।

मेरी सरकार नदियों को प्रदूषण मुक्त किये जाने के लिये कृत संकल्प है। इस अनुक्रम में प्रदेश की नदियों, गंगा, यमुना तथा गोमती के तट पर स्थित 23 नगरों के अन्तर्गत नदी प्रदूषण नियंत्रण के कार्य कराये जा रहे हैं। प्रदेश के नगरीय निकायों के सीमित संसाधनों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार इस वर्ष रु0 2120.58 करोड़ की धनराशि

निकायों को स्वीकृति की जा चुकी है साथ ही बारहवें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुरूप में रु0 51.70 करोड़ की धनराशि निकायों को स्वीकृत की गयी है।

पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना भारत सरकार से 50 प्रतिशत सहायतित है एवं इसमें कोई वित्तीय सीमा निर्धारित नहीं है। इसी प्रकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना भारत सरकार से शत-प्रतिशत सहायतित है। इन योजनाओं के तहत भारत सरकार द्वारा देयता के सापेक्ष बहुत नगण्य धनराशि उपलब्ध करायी गयी है और इस कारण अधिकांश व्यय भार राज्य सरकार को ही वहन करना पड़ रहा है, जबकि योजना भारत सरकार की है तथा इस हेतु लगभग रु0 2074 करोड़ की धनराशि प्रदेश सरकार को अभी नहीं मिली है। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों से उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना से कुल 2,07,07,135 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने हेतु रु0 838.15 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गयी है। साथ ही निर्धन लोगों की पुत्रियों की शादी तथा बीमारी हेतु सहायता दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश को भगवान बुद्ध के जीवन की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े रहने का गौरव प्राप्त है। भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान कर उनकी यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से बौद्ध परिपथ के बहुआयामी विकास हेतु सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, दोहरीघाट एवं गाजीपुर में मार्गीय सुविधाओं का निर्माण, कुशीनगर एवं सारनाथ में लैण्ड स्केपिंग, कुशीनगर में सीवरेज एवं पानी की व्यवस्था तथा कुशीनगर में अबाधित विद्युत व्यवस्था हेतु विद्युतीकरण के कार्य कराये गये। राज्य सरकार द्वारा कुशीनगर में निजी सहयोग से एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये सरकार कृत संकल्प है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत इच्छुक प्रत्येक परिवार को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारण्टी है। वर्ष 2009-10 में माह नवम्बर तक 35.77 लाख परिवारों को 17.44 करोड़ मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। साथ ही स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में 3.36 लाख स्वरोजगार स्थापित करने के लक्ष्य के सापेक्ष नवम्बर, 2009 तक 1.92 लाख व्यक्तियों को स्वरोजगार दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों की कमी को देखते हुए इन्दिरा आवास योजना के साथ ही राज्य के संसाधनों से महामाया आवास योजना, महामाया सर्वजन आवास योजना प्रारम्भ की गयी है और इस वर्ष 5.75 लाख आवास निर्माण के सापेक्ष 2.07 लाख आवासों का निर्माण कराया जा चुका है।

प्रदेश में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेन्स हेतु समस्त 72 सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित ड्राइविंग लाइसेन्स को स्मार्टकार्ड पर निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में मोटरयानों पर लगने वाले करों को और तर्कसंगत, उपयोगी बनाने के लिये उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 में संशोधन किये गये हैं। अक्टूबर, 09 से कर का नया ढांचा लागू किया गया

है। इससे वाहन स्वामियों को परिवहन कार्यालयों में अपने करों को जमा करने हेतु बार-बार नहीं जाना पड़ेगा।

प्रदेशवासियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 988 नयी बसें सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में सम्मिलित की गयी हैं। इस प्रकार निगम के पास 8,499 बसें हैं।

प्रदेश के कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से "मूल्य समर्थन योजना" के अन्तर्गत गेहूं तथा धान की खरीद किये जाने की व्यवस्था की गयी है। भारत सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य रु0 1080 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। इस वर्ष गेहूं की खरीद सीधे किसानों के माध्यम से की गयी है। राज्य सरकार द्वारा गेहूं क्रय का लक्ष्य 32 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था जबकि 34.14 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद किसानों से की गयी है। इसी प्रकार 9.00 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी है। प्रदेश सरकार को भारत सरकार से बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 और अन्त्योदय योजना मदों में लगभग रु0 3370 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त होनी अवशेष है फिर भी राज्य सरकार द्वारा धान व चावल की खरीद, अपने सीमित संसाधनों से निरन्तर की जा रही है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में संचालित उचित दर की दुकानों में विकलांगजन के निमित्त पूर्व से प्रस्तावित 2 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त दृष्टिबाधित विकलांगजन के निमित्त एक प्रतिशत अतिरिक्त होरिजोण्टल आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में ए0पी0एल0/बी0पी0एल0/अन्त्योदय श्रेणी के कार्ड धारकों तथा जनसामान्य को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में अपनी समस्यायें विभाग को बताने एवं इनकी त्वरित निराकरण के लिए विभाग द्वारा "काल सेन्टर" की भी स्थापना की गयी है। उचित दरों की दुकानों में खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुएं सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से "डोर स्टेप डिलीवरी योजना" माह दिसम्बर, 2009 से पायलेट आधार पर प्रदेश के 2 विकास खण्डों में लागू की गयी है।

प्रदेश में खाद्यान्न की कमी वाले सूखा एवं दैवीय आपदा से प्रभावित बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 500 "ग्रामीण खाद्यान्न बैंक" स्थापित किये गये हैं। इन बैंकों से 40-40 बी0पी0एल0/अन्त्योदय श्रेणी के ऐसे परिवार सम्बद्ध किये गये हैं जिन्हें खाद्य सुरक्षा दी जानी अति आवश्यक है। इस योजना के अन्तर्गत 16,535 लाभार्थी परिवारों द्वारा एक कुन्तल गेहूं प्रति परिवार लोन बेसिस पर प्राप्त किया गया है। वर्ष 2009-10 में योजना का विस्तारीकरण करते हुए 781 ग्रामीण खाद्यान्न बैंक खोले गये हैं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 की धारा 122 ख (4च) में संशोधन करके ग्राम सभा की भूमि पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के 13 मई, 2007 तक के कब्जे को विनियिमत किया गया है। संशोधन के उपरान्त 13 मई, 2007 के पूर्व के कब्जेदारों की संख्या 11,810 थी, जिसमें 2719.683 हेक्टेयर भूमि आच्छादित थी उनमें से 11,697 कब्जेदारों को विनियमित करते हुए लाभ प्रदान करके जीविका का साधन उपलब्ध कराया गया है। इस अधिनियम की धारा-122 ग (3) की पात्रता रखने वाले 12,786 कब्जेदारों द्वारा निर्मित मकान के स्थल विनियमित करते हुए लाभ प्रदान कराया गया है। साथ ही आवास एवं कृषि

भूमि के पट्टेदारों की पट्टा भूमि पर 36,269 पट्टेदारों की 5136.958 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जों को चिन्हित किया गया जिनमें से 36,071 वास्तविक पट्टेदारों को उनकी पट्टा भूमि से अवैध कब्जे हटाकर 5,103.359 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा दिलाया गया है।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग का उद्देश्य निरुद्ध बंदियों के सुरक्षित रख-रखाव के साथ ही बन्दियों की मानसिकता, आचरण एवं व्यवहार में अपेक्षित सुधार कर उन्हें शैक्षिक एवं विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर कार्य कुशल बनाना है, जिससे वे कारागार से मुक्त होने पर समाज में स्वावलम्बी होकर एवं राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होकर अपना जीवन यापन कर सकें तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी एवं सभ्य नागरिक बन सकें। कारागारों में निरुद्ध बन्दियों को स्वावलम्बी एवं कार्य कुशल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न केन्द्रीय कारागारों में कारागार उद्योगों की स्थापना की गयी है। विभिन्न कारागारों में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दियों को फार्म-ए नामिनल रोल, दया याचिका एवं इनफरमिटी रोल के आधार पर दिनांक 13-5-2007 से दिनांक 31-12-2009 तक 114 बन्दियों को कारागार से मुक्त किया गया है। साथ ही प्रदेश में घनी आबादी के मध्य आने वाले 09 जनपदों के कारागारों को शहर से बाहर स्थानान्तरित कर नवीन कारागारों के निर्माण एवं कारागार विहीन 13 जनपदों में जिला कारागारों का निर्माण कराया जायेगा।

आरक्षित श्रेणी की बिना भरी रिक्तियों से उत्पन्न बैकलाग को भरे जाने की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित रही है। सीधी भर्ती के 94.40 प्रतिशत, पदोन्नति की 63.59 प्रतिशत बैकलाग की रिक्तियों को विशेष भर्ती अभियान द्वारा भरा जा चुका है।

प्रदेश के विकलांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से स्वालम्बी बनाये जाने के उद्देश्य से निराश्रित विकलांगजन को भरण पोषण अनुदान, कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र, विकलांगजन के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान, विकलांगजन से शादी करने पर प्रोत्साहन, निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य है। देश में पहली बार विभिन्न श्रेणी के विकलांग विद्यार्थियों को बाधारहित वातावरण में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गयी, विश्वविद्यालय की विशेष शिक्षा संकाय में 6 पाठ्यक्रमों का संचालन प्रारम्भ किया जा चुका हैं।

जनआकांक्षाओं की पूर्ति, दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्र के निर्धन व निर्बल वर्ग के निवासियों की चारा, ईंधन व विभिन्न वन उत्पादों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वनों का महत्व है। वनों पर प्रत्यक्ष निर्भरता के अतिरिक्त वनों से होने वाले लाभ सम्पूर्ण भूमण्डल के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्ष 2009-10 में वनावरण व वृक्षावरण सृजित कर पर्यावरण संतुलन हेतु 93,111 हेक्टेयर भूमि में 9.18 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है। अनुसूचित जन जातियों व अन्य पारम्परिक वन वासियों के वन भूमि पर जीविकोपार्जन व निवास करने के अधिकारों का सशक्तीकरण करने के लिये 7,451 व्यक्तियों को अंतिम रूप से अधिकार पत्र प्रदान किये हैं।

प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज, उरई (जालौन) में भवनों के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है तथा इन मेडिकल कालेजों

को अगले सत्र में प्रारम्भ किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को सेन्टर आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित किया गया है। विश्वविद्यालय की स्थापना होते ही इसके विकास की कार्यवाही तीव्र गति से की गयी तथा संक्रामक रोग चिकित्सालय, ब्लड बैंक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा विश्वविद्यालय में सम्मिलित किये गये हैं। चिकित्सा विश्वविद्यालय में पी0 जी0 (पोस्ट ग्रेजुएट) की 108 वर्तमान सीटों के सापेक्ष 77 सीटें की और वृद्धि कर कुल 185 सीटें किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इसके अतिरिक्त डी0 एम0/एम0 सी0 एच0 की वर्तमान में उपलब्ध 23 सीटों में 36 सीटों की और वृद्धि कर 59 सीटें किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में नकली, अधोमानक, मिथ्या-छाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का गठन किया गया है। खाद्य अपमिश्रण को रोकने हेतु चलाये गये विशेष अभियान के दौरान 1,864 नमूने संग्रहित किये गये, लगभग दो करोड़ रुपये मूल्य के अपमिश्रित खाद्य पदार्थ जब्त किये गये एवं 144 व्यक्ति गिरफ्तार हुये। नकली, अधोमानक एवं मिथ्या-छाप औषधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा रोकथाम हेतु विशेष अभियान द्वारा औषधियां जब्त की गयीं।

सचिवालय के कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों और उनके आश्रितों को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में अन्तरंग चिकित्सीय सुविधा हेतु रिवाल्विंग फण्ड की व्यवस्था की गयी है।

सरकार प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया कराने के लिये कृत संकल्प है। लोगों में राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति रूझान बढ़ा है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश की शय्या उपयोगिता दर 70 प्रतिशत पर आ गयी है। पूर्वांचल में ए0 ई0 एस0 (एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिन्ड्रोम) एवं जे0ई0एस0 (जापानीस इन्सेफेलाटिस) से बचाव हेतु 34 जनपदों के 01 से 15 वर्ष आयु के 3.50 करोड़ बच्चों को टीका लगाकर सुरक्षा प्रदान की गयी है। मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिये जननी सुरक्षा योजना में संस्थागत प्रसव कराने पर लाभार्थी को शहरी क्षेत्रों में रु0 1000/- तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रु0 1400/- की धनराशि प्रत्येक लाभार्थी को देने का प्राविधान किया गया है। यदि किसी कारणवश बी0 पी0 एल0 गर्भवती महिला का प्रसव घर पर होता है तो उसे रु0 500/- का भुगतान किया जाता है। प्रति 1000 की आबादी में आशा (एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट) का चयन किया गया है, जो समाज तथा स्वास्थ्य विभाग के मध्य लिंक वर्कर का काम करेगी।

उत्तर प्रदेश में विद्युत की औसत प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 346 यूनिट प्रति वर्ष है, जबकि राष्ट्रीय औसत 717 यूनिट प्रतिवर्ष है। विद्युत की अधिकतम कमी लगभग 2,500 मेगावाट हैं पिछले 13 वर्षों में केवल 410 मेगावाट विद्युत क्षमता की वृद्धि प्रदेश में हुई हैं निजी क्षेत्र की रोजा 600 मेगावाट परियोजना के कार्य में भी तेजी लाने के लिये भूमि सम्बन्धी विवाद सुलझाये गये हैं, जिसके फलस्वरूप इस परियोजना की भी एक इकाई से उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। प्रदेश में पी0 पी0 पी0 (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) के माध्यम से स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के

लिये निवेशकर्ताओं का चयन लगभग पूर्ण हो चुका है और निविदा प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की बची हुई अवधि में लगभग 7,000 मेगावाट तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता स्थापित करने के लिये परियोजनायें चिन्हित करके कार्यवाही शुरू कर दी है।

प्रदेश के ऊर्जा उत्पादन तथा सिंचाई क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश की भारत-नेपाल सीमा पर संयुक्त रूप से नदियों से बिजली पैदा करने की परियोजनाओं को शीघ्र मूर्त रूप देने का अनुरोध भी किया गया है।

शहरी क्षेत्रों में गरीब बस्तियों के अन्तर्गत अनियोजित, अनियमित एवं अनाधिकृत रूप से बसे हुये गरीबी रेखा के नीचे आने वाले गरीब परिवारों/व्यक्तियों को उनके आवासों का मालिकाना हक दिलाने हेतु शासन द्वारा "सर्वजन हिताय गरीब आवास योजना" लागू की गयी है। समाज के विभिन्न वर्गों को उनकी आर्थिक क्षमतानुसार आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुल 40,000 आवासीय भू-खण्ड एवं भवन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में पट्टागत नजूल भूमि अथवा समाप्त पट्टे की नजूल भूमि को पट्टाधारक अथवा उसके उत्तराधिकारी के पक्ष में फ्री-होल्ड की कार्यवाही सर्किल रेट का 60 प्रतिशत तथा अनावासीय मामलों में 80 प्रतिशत प्राप्त कर महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार फ्री-होल्ड किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

इतना ही नहीं बल्कि, प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास व जनहित के कुछ जरूरी कार्यों के लिये भी मेरी सरकार ने 80 हजार करोड़ का विशेष आर्थिक सहायता पैकेज केन्द्र सरकार से मांगा है।

इसके साथ ही मेरी सरकार ने प्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश के पूर्वांचल, पश्चिमी उ0 प्र0, बुन्देलखण्ड क्षेत्र को अलग से राज्य बनाने के लिये भी केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु चिट्ठी लिखी है।

माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख नीतियों और कतिपय प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। विधान मण्डल के सत्र में आपके सामने वित्तीय वर्ष 2010-2011 का आय-व्ययक तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिये अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की जाएंगी और तत्सम्बन्धी विधेयक पारित करने की अपेक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक तथा कुछ अन्य विधेयक आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

अपना अभिभाषण समाप्त करने से पूर्व मैं आपको यह स्मरण कराना चाहूंगा कि लोकतंत्र का भविष्य बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि सदन के भीतर और सदन के बाहर आपका व्यवहार कैसा हो। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सदैव सदन की उच्च गरिमा एवं पवित्रता को बनाये रखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके विचार-विमर्श में सदैव गम्भीरता, निःस्वार्थ सेवा एवं सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा होगी। इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आहूत करता हूं।

जय-हिन्द।]

उत्तर प्रदेश सहकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2009 को सदन के पटल पर रखता हूं।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 को सदन के पटल पर रखता हूं।

संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिए प्रस्तावित संशोधन जो अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के अन्तर्गत आता है, के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में लोक सभा सचिवालय से प्राप्त पत्र को, उक्त विधेयक एवं संसद के तद्विषयक वाद-विवाद की प्रतियों सहित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-182 के उप नियम (1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 एवं संसद के तद्विषयक वाद-विवाद की प्रतियां प्राप्त न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इन्होंने पढ़ा है कि "उक्त विधेयक एवं संसद के तद्विषयक वाद-विवाद की प्रतियों सहित"। यह उन्होंने पढ़ा है इसके समेत आप सदन के पटल पर रख रहे हैं लेकिन न वाद-विवाद की प्रति है और न यह विधेयक है। यह है ही नहीं। सदन से आप पारित करना चाह रहे हैं, संविधान में प्राविधान भी है, यह नियमावली में भी है कि यह होना चाहिए था। जब वह प्रतियां और विधेयक है नहीं तो मान्यवर, कम से कम तब तक इस प्रश्न को उपस्थित न करें जब तक कि वह प्रतियां न आ जायें।

श्री अध्यक्ष-

मुझे बताया गया है कि यह पटल कार्यालय पर रखा जाता है, वहीं से यह मिलता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हम कह रहे हैं कि वहां नहीं है। मान्यवर, यह बड़ी भारी चूक है इसको हल्के से न लें। इसका प्राविधान किया गया है वह होना चाहिए जो पढ़ा गया है वह होना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

कुछ माननीय सदस्यों को बटवा दिये गये हैं, ठीक है आप इसको संज्ञान में लाये हैं इसको करवाते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कम से कम हमको यह जानकारी तो हो कि वहां संसद में हुआ क्या है ? विधेयक है क्या ? विधेयक तक नहीं है मान्यवर। मान्यवर, इसको इतने हल्केपन से न लें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं, हल्केपन से नहीं लिया जायेगा। इसकी प्रतियां वितरित करा दी जायें।

श्री हुकुम सिंह-

जब प्रतियां हैं ही नहीं तो कैसे प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को इसी समय ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित इतना गम्भीर प्रकरण है और हम इस सवाल पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते कि इसमें कोई विरोध और समर्थन की कोई बात है। यह प्रदेश के हित में है और इसको करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह विधेयक क्या है ? वाद-विवाद की प्रतियां नहीं उपलब्ध करायी जायेंगी, अभी तो यह रिकार्ड पर है; माननीय हुकुम सिंह जी ने यह बात रख दी है। इसको पास करने की इतनी जल्दी है, ठीक है, लेकिन श्रीमन् इसकी प्रतियां तो दिलवा दीजिए विधेयक तो भिजवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है हम करवाते हैं। माननीय हुकुम सिंह जी, जैसा कि हमारे दफ्तर की सूचना के आधार पर हमने सभी माननीय सदस्यों को एक सूचना दे दी कि इसकी प्रतियां पटल पर रख दी जायेंगी। किन्हीं परिस्थितियों में अगर नहीं प्राप्त हुयीं तो इसके लिए मुझे खेद है। मैं सभी माननीय सदस्यों को अभी प्रतियां उपलब्ध करा देता हूं। जबकि सभी माननीय सदस्यों को सूचना दी गयी थी कि इसकी प्रति हम पटल पर सबको उपलब्ध करा देंगे।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह संविधान का 109वां संशोधन है। केन्द्र की सरकार ने इसे पारित कर दिया है। देश की दो तिहाई से ज्यादा प्रदेशों की सरकारें जब तक इसको पारित नहीं करेंगी तब तक यह माना नहीं जाएगा और इसकी अंतिम तिथि संभवतः 25 तारीख तक है। इसका आज पारित किया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाना तो जरूरी है। यह आज हम सबने आश्वासन दिया है, आज हम सब इसे पारित करना चाहेंगे क्योंकि केन्द्र सरकार ने किया है और इसमें प्रदेश सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। सदन की जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, सरकार को नहीं करना है। मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने और माननीय अम्बिका चौधरी जी ने जो आपत्ति उठायी है वह अपनी जगह है, उसको आप संज्ञान में ले लें। इसकी प्रतियां हम लोगों को उपलब्ध करा दें। लेकिन इसे अभी ले लें और आज ही पारित करा दें जिससे संवैधानिक संकट न आये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी ने कहा है कि यह केन्द्र सरकार ने पारित किया है तो मैं इसमें संशोधन करना चाहता हूं कि यह अकेले केन्द्र सरकार ने नहीं बल्कि पूरे पार्लियामेन्ट ने पारित किया है।

संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 द्वारा "भारत का संविधान" में प्रस्तावित संशोधन के अनुसमर्थन का संकल्प

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करती हूं-"यह कि यह सदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 द्वारा किये जाने हेतु प्रस्तावित अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले "भारत का संविधान" में संशोधन का अनुसमर्थन करता है।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "यह कि यह सदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 द्वारा किये जाने हेतु प्रस्तावित अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 'भारत का संविधान' में संशोधन का अनुसमर्थन करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं सूचित करता हूं कि "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 197 के खण्ड (1) के उप खण्ड (ख) साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 07 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 07 अगस्त, 2009 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 10 अगस्त, 2009 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से

अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2009 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2009 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 04 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 07 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 04 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 07 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने

दिनांक 04 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 अगस्त, 2009 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 अगस्त, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 04 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 07 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 अगस्त, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 04 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 अगस्त, 2009 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 अगस्त, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 04 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 अगस्त, 2009 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 अगस्त, 2009 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 07 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 अगस्त, 2009 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 07 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2009 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 अगस्त, 2009 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का बाइसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 07 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 अगस्त, 2009 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का तेइसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 07 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2009 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 अगस्त, 2009 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 07 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 अगस्त, 2009 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 07 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2009 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 अगस्त, 2009 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 07 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2009 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 08 सितम्बर, 2009 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का सत्ताइसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 07 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2009 की

बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2009 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का अट्ठाइसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 07 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2009 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 अगस्त, 2009 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का उन्तीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 07 अगस्त, 2009 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2009 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2009 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2009 का उत्तर प्रदेश का तीसवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-9, 10 तथा 11 में कुछ नहीं है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010[†]

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[†] दिनांक 22-2-2010 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन को अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

सदन में प्रस्तुत किये जाने वाले कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव में संशोधन की मांग

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अभी मद सं0-16 में आप द्वारा जो सूचना सदन को दी जानी है, उसमें मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप नत्थी (ख) को देख लें। कार्य-मंत्रणा समिति में मान्यवर, जो भी चर्चा होती है उसका उल्लेख सदन में करने की परम्परा नहीं रही है और आवश्यकता भी नहीं है। श्रीमन्, इसमें क्रमांक-3 और 6 देख लें। समिति में एक राय से यह बात हुई थी कि 4 तारीख को जिस दिन मा0 वित्त मंत्री जी बजट रखेंगे उस दिन कार्य-स्थगन की सूचनाएं नहीं ली जायेंगी। लेकिन इसमें मुझे यह लगता है कि या तो रिपोर्टर की किसी त्रुटि या किसी लिपिकीय त्रुटि से यह त्रुटि हो गयी है क्योंकि नोटिस नहीं लिये जाने की बात कार्य-मंत्रणा समिति में केवल 04 तारीख को तय हुई थी और इसमें यह आ रहा है कि यह दिनांक 27, 28 और 29 को भी नहीं ली जायेंगी और 05 फरवरी को भी नहीं ली जायेंगी। मान्यवर, ऐसी कोई बात श्रीमन् हुई नहीं थी इसे मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आप कृपया इसे देख लें और इनको हटाकर ही इसे रखने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर फिर से बैठ लिया जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक 22-2-2010 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 जनवरी, 2010 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 21 जनवरी, 2010 से 24 फरवरी, 2010 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 22, 25 जनवरी, 2010 को सदन के उपवेशन न हों।

2-दिनांक 27 जनवरी, 2010 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायं।

3-दिनांक 27, 28 तथा 29 जनवरी, 2010 को नियम-56 व 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

4-दिनांक 29 जनवरी, 2010 को असरकारी दिवस न हो।

5-दिनांक 04 फरवरी, 2010 को प्रश्नकाल न हो तथा नियम-56, 300 एवं 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

6-दिनांक 05 फरवरी, 2010 को नियम-56, 300 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

सदन में प्रस्तुत किये जाने वाले कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव में संशोधन की मांग (क्रमागत)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जब आप मेरी बात से सहमत हो गये तो इसको लेने का क्या मतलब है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कहा कि हम इस पर फिर से बैठ लेंगे।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, क्या बैठक में ऐसा तय हुआ था कि-ली जायेंगी और यहां लिख गया है कि नहीं ली जायेंगी ? अगर मान्यवर, यह विषय है तो यह यहीं संशोधित होना चाहिए। अगर कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक की गलती टाइप हुई है तो यह बात यहीं संशोधित होनी चाहिए, अगर गलती हो और बाद में गलती संशोधित हो यह ठीक नहीं है। यह बात यहां तय होनी चाहिए कि क्या तय हुआ था। जब यह विषय सामने आ गया तो स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर तय क्या हुआ था।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, क्रमांक-3 और 6 को छोड़ दें बाकी ले लें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपने पहले ही एक निर्णय दे दिया है तो आप जैसा उचित समझें वैसा कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 चौधरी साहब, जो हमारी कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई है उसका कार्यवृत्त मैं देख लेता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है, इस पर कोई विवाद नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है और आपका अधिकार भी है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि क्रमांक-3 और 6 को छोड़ करके बाकी प्रस्ताव पास करा दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 चौधरी साहब, अगर क्रमांक-3 और 6 को डिलीट कर रहे हैं तो दिनांक 27, 28 और 29 जनवरी, 2010 को आप सदन में बैठेंगे या नहीं, इसे तो आप पास करेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह तो रहेगा ही, यह तो पूरा नीचे है, नीचे पूरा कार्यक्रम है, मेरा अनुरोध है कि सिर्फ क्रमांक-3 और 6 को छोड़ दें। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी इससे सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

क्या संसदीय कार्य मंत्री जी इससे सहमत हैं ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपकी अध्यक्षता में बैठक हुई। जब आपकी अध्यक्षता में बैठक हुई तो मान्यवर, उस स्थिति में मेरी समझ से जो आपने निर्णय दे दिया कि हम दोबारा बैठ लेंगे और उस बैठ लेने के उपरान्त जैसी आप लोगों की चाहत है उसके अनुसार संशोधन कर लिया जायेगा। चूंकि मान्यवर, आज आपने इसे ले लिया है और पढ़ दिया है तो एक परम्परा के निर्वहन में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसे हो जाने दें और जहां तक बैठक की बात है उसमें हमारी कोई असहमति नहीं है, हम लोग अगर आज ही बैठना चाहें तो आज बैठ लें और यदि 27 तारीख को बैठना चाहें तो 27 तारीख को रख लें, हम लोग 27 तारीख को सुबह बैठ लेंगे।

श्री ओम प्रकाश शर्मा-

मान्यवर, विपक्ष के प्रमुख दल की तरफ से माननीय अम्बिका चौधरी जी ने एक विषय उठाया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि अम्बिका चौधरी जी जो कह रहे हैं उसके विपरीत निर्णय हुआ था या जो लिखा गया वही निर्णय हुआ था। कार्य-मंत्रणा समिति में निर्णय कार्य-मंत्रणा समिति करती है, यह आपके स्तर से निर्णय, नहीं है। आप उस निर्णय को स्वीकार करके यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब यह कोई कह ही नहीं रहा है कि जो अम्बिका चौधरी जी कह रहे हैं वह गलत है तो निश्चित तौर पर स्वीकार कर लेना चाहिए, संशोधन करने में कोई अपमान नहीं हो जायेगा, कोई परम्परा का उल्लंघन नहीं हो जायेगा, फिर उसके लिए क्यों बाद में बैठें ? या तो संसदीय कार्य मंत्री जी कह दें कि नहीं, जो लिखा है वह तय हुआ था या इस पर चर्चा हो जाए कि हुआ क्या था ? अम्बिका चौधरी जी कह रहे हैं कि जो हुआ था, वह इसमें नहीं छपा है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने मर्यादा का पालन करते हुए आपके

ऊपर छोड़ दिया, यह नहीं कहा कि जो लिखा है वही सही है, उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया। इसमें आपका विवेक है, जो गलती हो गयी उसको यहीं संशोधित कर लें तो ज्यादा मर्यादित होगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओम प्रकाश सिंह जी पीठ के संज्ञान में जो भी चीज आप लाते हैं, कभी-कभी इस तरह से भी निवेदन किया गया और मौके भी मिले हैं। अभी हमने कहा कि नियम-56 और 300 की सूचनायें न लेने का निर्णय लिया कि अमुक तिथि को सूचना नहीं ली जायेगी, या लिया जायेगा। इसमें आपने उल्लेख कर दिया कि हो सकता है कि रिपोर्टर ने बताया न हो, चौधरी साहब ने भी कहा कि रिपोर्टर ने फीड न किया हो, इस वजह से गलत छप गया हो। मैंने इतना ही अनुरोध किया था कि हम कार्यवृत्त देख लेंगे, अगर आज बैठना चाहें तो बैठ लेंगे। अगर हमारे कार्यवृत्त में इस तरह के निर्णय हुये हैं कि इन तारीखों को सूचनायें ली जायेंगी और छप गया कि नहीं ली जायेंगी, तो हम कहां इसको प्रतिष्ठा बना रहे हैं और आपने खुद कहा कि हो सकता है कि रिपोर्टर ने न बताया हो, तो जहां संदिग्ध की स्थिति है, वह आप भी पैदा कर रहे हैं और हम भी कह रहे हैं। इसके लिए कल बैठें, परसों बैठे या आज ही बैठ लीजिए, हम निर्णय ले लेंगे। हमारी कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हो जायेगी। जैसा कि आपने भी कहा है कि रिपोर्टर ने न बताया हो तो हम कार्यवृत्त देख लेंगे और कार्यवृत्त में उस दिन कार्य-मंत्रणा समिति ने निर्णय लिया है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं कि वे सब सूचनायें रहेंगी। मैंने इतना ही तो कहा है इससे ज्यादा तो कुछ कहा नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपको धन्यवाद। आपने कह दिया कि सूचनायें ली जायेंगी। निर्णय हो गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम कार्यवृत्त देख लेते हैं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (क्रमागत)

7-दिनांक 05 फरवरी, 2010 को असरकारी दिवस (आधा दिन) (29 जनवरी, 2010 के स्थान पर) हो।

8-दिनांक 21 जनवरी, 2010 से दिनांक 24 फरवरी, 2010 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

जनवरी, 2010

21 गुरुवार 1-11.00 बजे पूर्वाह्न

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण।

2-12.30 बजे अपराह्न

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ कर सुनाया जाना।

(2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो।

22 शुक्रवार 23 शनिवार 24 रविवार 25 सोमवार	बैठक नहीं होगी।
26 मंगलवार	बैठक नहीं होगी। (गणतन्त्र दिवस का अवकाश)
27 बुधवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें। 2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
28 गुरुवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
29 शुक्रवार	1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। 2-विधायी कार्य।
30 शनिवार 31 रविवार	बैठक नहीं होगी।

फरवरी, 2010

01 सोमवार 02 मंगलवार 03 बुधवार	विधायी कार्य।
04 गुरुवार	1-11.00 बजे पूर्वाह्न (1) वित्तीय वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण। (2) वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण। 2-विधायी कार्य।
05 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। 2-असरकारी दिवस (आधा दिन) (29 जनवरी, 2010 के स्थान पर)। 3-विधायी कार्य।
06 शनिवार 07 रविवार	बैठक नहीं होगी।
08 सोमवार 09 मंगलवार 10 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

11 गुरुवार	1-वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-विधायी कार्य।
12 शुक्रवार 13 शनिवार 14 रविवार	(महाशिवरात्रि का अवकाश) बैठक नहीं होगी।
15 सोमवार 16 मंगलवार 17 बुधवार 18 गुरुवार 19 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
20 शनिवार 21 रविवार	बैठक नहीं होगी।
22 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
23 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-3.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
24 बुधवार	असरकारी दिवस। विधायी कार्य।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। 27 तारीख को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 12 बजकर 59 मिनट पर बुधवार, दिनांक 27 जनवरी, 2010 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 21 जनवरी, 2010

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पीएस0यू0पी0-एल0 167 विधान सभा (526)-5-3-2010-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।